भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 143
उत्तर देने की तारीख 03.02.2025

अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता के लिए योजना

143. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर :
श्री अरविंद गणपत सावंत :
श्री संजय हरिभाऊ जाधव :
श्री संजय उत्तमराव देशमुख :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुभवी कलाकारों का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने उक्त कलाकारों के हितों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता के लिए कोई योजना वर्तमान में लागू है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अनुभवी कलाकारों को कोई पेंशन प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा क्या नीति बनाई गई है;

(ङ) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत चयनित कलाकारों की संख्या कितनी है तथा मासिक पेंशन की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे अनुभवी कलाकारों की जिलावार संख्या कितनी है;

(छ) उक्त योजना के अंतर्गत गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त पेंशन संबंधी लंबित आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ज) क्या महाराष्ट्र के कई अनुभवी कलाकारों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद पिछले दो वर्षों से पेंशन की राशि नहीं मिल रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) दिसंबर 2024 तक महाराष्ट्र के उक्त कलाकारों को भुगतान के लिए लंबित पेंशन की कुल राशि कितनी है; और

(ञ) क्या सरकार का उक्त सभी कलाकारों को पेंशन की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग) : संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुभवी और अभावग्रस्त कलाकारों की सहायता करने के उद्देश्य से 'वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता' नामक स्कीम का संचालन किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत कलाकारों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता औपचारिक रूप से प्रदान की जाने वाली किसी प्रकार की पेंशन नहीं है। इसके बजाय, यह उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाने वाला अनुदान है, जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कला, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या अभी भी योगदान दे रहे हैं, परन्तु वृद्धावस्था के कारण नियमित आय जुटाने में असमर्थ हैं। इस स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, चयनित कलाकारों को यदि उनके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई कलाकार पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे कलाकारों को सहायता राशि जारी करने से पहले, उसमें से पेंशन राशि को घटाया जाता है।

(घ): स्कीम दिशानिर्देशों में, स्कीम के अंतर्गत आवेदक के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का प्रावधान किया गया है:

i. पारंपरिक विद्वान जिन्होंने कला और साहित्य आदि के अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

ii. आवेदक की वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. आवेदक कलाकार की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

iv. आवेदक कलाकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/- रुपये प्रतिमाह की कलाकार पेंशन प्राप्त कर रहा हो या आवेदक के कलात्मक पूर्ववृत्त संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कला और संस्कृति विभाग या संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी), संस्कृति मंत्रालय द्वारा सत्यापित और अनुशंसित हों।

v. आवेदक कलाकार संस्कृति मंत्रालय की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो।

(ड.): विगत 10 वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त कलाकारों की संख्या और प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि **अनुलग्नक-क (क)** और **क(ख)** पर दी गई है।

(च): विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र से चयनित कलाकारों की संख्या **अनुलग्नक-ख** पर दी गई है।

(छ) से (ञ): चयनित कलाकारों को वित्तीय सहायता जारी करना कतिपय अनिवार्य दस्तावेजों जैसे कि, वर्ष में एक बार डिजिटल आयु प्रमाणपत्र (डीएलसी), 5 वर्ष में एक बार वार्षिक आय प्रमाणपत्र, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन, यदि कोई हो, की प्राप्ति को दर्शाने वाले दस्तावेज जमा करने पर निर्भर करता है। चयनित कलाकारों की ओर से अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर, जो वर्ष भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, शीघ्रता से वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। तदनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले वयोवृद्ध कलाकारों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त वयोवृद्ध कलाकारों की संख्या	संवितरित राशि (लाख रुपये में)
2021-22	448	190.49
2022-23	740	273.49
2023-24	1239	795.97
2024-25 (अब तक)	1248	450.28

अनुलग्नक-क (क)

'अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता के लिए योजना' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष - 2014-15	वित्तीय वर्ष - 2015-16	वित्तीय वर्ष - 2016-17	वित्तीय वर्ष - 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	304	295	312	324
2	असम	28	28	34	37
3	बिहार	38	38	41	41
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	38	38	42	42
5	गोवा	7	7	8	8
6	गुजरात	5	5	5	5
7	हरियाणा	28	28	28	29
8	हिमाचल प्रदेश	6	6	6	6
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	0	0	2	2
10	झारखंड	6	6	7	13
11	कर्नाटक	613	588	673	673
12	केरल	219	212	288	315
13	मध्य प्रदेश	30	30	45	48
14	महाराष्ट्र	760	684	871	871
15	मणिपुर	109	97	117	124
16	मेघालय	1	1	1	1
17	मिजोरम	4	4	5	5
18	नागालैंड	0	0	2	2
19	ओडिशा	218	198	241	241
20	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	6	6	6	6
21	पंजाब	3	3	7	7
22	राजस्थान	3	3	14	14
23	तमिलनाडु	185	165	229	229
24	तेलंगाना	90	90	103	103
25	त्रिपुरा	0	0	0	1
26	उत्तर प्रदेश	198	188	201	202
27	उत्तराखंड	8	8	11	11
28	पश्चिम बंगाल	60	60	77	77
	कुल	**2967**	**2788**	**3376**	**3437**

2014-15 से 2017-18 तक जारी कुल वित्तीय सहायता*	
वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)
2014-2015	15.63
2015-2016	13.86
2016-2017	13.17
2017-2018	15.30

* इन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अनुलग्नक-क (ख)

'अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता के लिए योजना' के संबंध में दिनांक **03** फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **143** के भाग (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष - 2018-19		वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष - 2020-21		वित्तीय वर्ष - 2021-22		वित्तीय वर्ष - 2022-23		वित्तीय वर्ष - 2023-24	
		संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	6.49	41	22.16	54	5.1	29	72.29	89	84.66	148	153.30	191
2	असम	1.68	4	1.92	5	0.96	2	0.48	1	1.57	1	2.41	3
3	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.47	14
4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.87	8
5	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	हरियाणा	0.44	7	0.04	1	-	-	0.93	1	0.56	2	3.69	4
8	हिमाचल प्रदेश	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	झारखंड	2.57	42	1.11	8	2.28	8	3.00	5	3.59	7	3.88	4
11	कर्नाटक	64.42	168	30.29	102	29.97	144	59.55	146	64.32	130	341.98	344
12	केरल	27.57	108	13.34	83	8.18	24	24.49	57	25.3	51	64.21	67
13	मध्य प्रदेश	2.64	45	5.41	16	2.44	6	5.04	12	3.86	6	6.95	7
14	महाराष्ट्र	72.82	234	85.86	324	106.61	206	190.49	448	273.49	740	795.97	1239
15	मणिपुर	4.48	11	3.08	13	3.36	9	7.84	16	0.6	5	14.7	13
16	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	नागालैंड	0.16	1	0.04	1	0.48	1	0.92	2	0.12	1	3.28	2
19	ओडिशा	156.28	436	84.04	238	119.46	355	276.95	828	306.77	966	1063.40	1460
20	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	राजस्थान	1.27	10	0.87	5	0.07	2	1.23	2	0.71	2	1.36	2
23	तमिलनाडु	19.58	45	9.92	36	0.87	6	15.49	22	14.6	21	46.96	41
24	तेलंगाना	72.2	181	86.18	163	53.2	86	217.29	342	268.16	489	274.94	293
25	त्रिपुरा	0.78	2	0.06	2	0.24	1	0.92	2	0.12	1	-	-
26	उत्तर प्रदेश	1.8	21	3.2	8	5.12	9	13.08	46	15.46	58	67.24	82
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43	2
28	पश्चिम बंगाल	10.71	46	8.26	25	5.09	37	12.31	32	11.71	27	28.53	35
	कुल	**445.93**	**1356**	**355.82**	**1084**	**343.46**	**925**	**902.30**	**2051**	**1075.6**	**2655**	**2896.57**	**3811**
	एलआईसी	1527.66	2764	1461.78	2104	527.85	1075	639.87	978	783.58	996	0	0
	कुल योग	**1973.59**	**4120**	**1817.6**	**3188**	**871.31**	**2000**	**1542.17**	**3029**	**1859.18**	**3651**	**2896.57**	**3811**

अनुलग्नक-ख

'अनुभवी कलाकारों की वित्तीय सहायता के लिए योजना' के संबंध में दिनांक 03 फरवरी, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रम सं.	ज़िला	2022	2023	2024
1	अहमदनगर	12	1	0
2	अकोला	0	0	0
3	अमरावती	0	1	1
4	औरंगाबाद	137	36	7
5	बीड	30	14	4
6	भंडारा	12	9	0
7	बुलढाना	5	6	1
8	चंद्रपुर	7	5	0
9	धुले	40	18	1
10	गडचिरोली	1	2	0
11	गोंदिया	2	4	0
12	हिंगोली	18	6	5
13	जलगांव	4	1	0
14	जलना	52	28	5
15	कोल्हापुर	14	0	0
16	लातूर	12	8	7
17	मुंबई	5	1	0
18	नागपुर	63	28	3
19	नांदेड़	59	52	14
20	नंदुरबार	2	0	0
21	नासिक	11	6	1
22	उस्मानाबाद	13	1	0
23	पालघर	0	0	0
24	परभनी	20	21	9
25	पुणे	3	1	2
26	रायगढ़	3	1	0
27	रत्नागिरि	0	0	0
28	सांगली	8	2	1
29	सतारा	1	0	0
30	सिंधुदुर्ग	0	1	0
31	सोलापुर	4	2	1
32	ठाणे	0	2	0
33	वर्धा	0	2	0
34	वाशिम	5	3	0
35	यवतमाल	5	6	6
	कुल	**548**	**268**	**68**